मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
(ISO 9001:2008 प्रमाणित संस्था)
36, बीज भवन मदर टेरेसा मार्ग, अरेरा हिल्स, भोपाल
दूरभाष– 0755– 2775045, 2775048 फैक्स– 0755– 2775042
e.mail : hofaa36@gmail.com

क्रमॉक–एचओ / एफएए / वैधा.अंके. / 2016–17 / 5614 दिनॉक 10-3-17

प्रति,

विषय–बीज निगम के वित्तीय वर्ष 16–17 के लेखों का वैधानिक अंकेक्षण कराने के संबंध में ।

बीज निगम के वित्तीय वर्ष 16–17 के लेखों का वैधानिक अंकेक्षण किया जाना है जिसके लिए आपसे आफर ऑमत्रित किए जाते हैं ।

(2) बीज निगम का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में है और बीज निगम के अधिनस्थ मुख्यालय, 42 कृषि प्रक्षेत्र तथा 54 बीज प्रकिया केन्द्र व 7 क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं । बीज प्रकिया केन्द्रों पर बीज खरीदी, विकय एवं बीज संसाधन का कार्य सम्पादित किया जाता है ।

(3) निगम द्वारा संचालित 7 क्षेत्रीय कार्यालयों पर उनके अधिनस्थ इकाईयों के अभिलेख उपलब्ध कराये जावेगें । अंकेक्षण में अन्य रूटीन कार्यो के अतिरिक्त विशेष तौर पर बैंक समाधान पत्रक, क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत एवं बाहर निगम इकाईयों को आई.यू.टी. में भेजे गए / प्राप्त किए बीज / सामग्री का मिलान, बीजों के कय एवं विकय किए गए तथा अंतिम स्कन्ध का किया जावेगा । बीजों का क्रय उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत होता है जिसमें उपार्जन के समय कृषकों को अग्रिम भुगतान एवं बीजों के मानक अनुरूप होने पर पैकिंग उपरान्त अंतिम भुगतान किया जाता है । इसी प्रकार बीज विकय का कार्य अलग–अलग चैनल से किया जाता है जिसमें इकाई से नगद विकय, समितियों, डी.एम.ओ. एवं कृषि विभाग के माध्यम से विकय होता है । कृषि प्रक्षेत्रों पर बीज उत्पादन का कार्य होता है । निगम की अपेक्षा है कि बीज कय विकय के लेन–देनों का उचित स्तर से अंतिम लेखों के पूर्व अंकेक्षण किया जावे ।

मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
(ISO 9001:2008 प्रमाणित संस्था)
36, बीज भवन मदर टेरेसा मार्ग, अरेरा हिल्स, भोपाल
दूरभाष– 0755– 2775045, 2775048 फैक्स– 0755– 2775042
e.mail : hofaa36@gmail.com

(4) वर्तमान में बीज निगम का अनुमानित टर्नओवर रू. 100 करोड़ है । इकाईयों का अंकेक्षण कर नियमों के अन्तर्गत वैधानिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे प्रस्तुत किया जाना है ।

(5) अतः इसके लिए कृपया पूर्ण बायोडाटा तथा आपके द्वारा सम्पादित किए जाने जा रहे संस्थाओं का विवरण के साथ अंकेक्षण की फीस के संबधं में आफर दरें जिसमें समस्त व्यय (यात्रा भत्ते आदि) शामिल हों, के साथ बंद लिफाफे में **दिनॉक 25 मार्च 2017, अपरान्ह 12.00 से 3.00 बजे** तक निगम मुख्यालय में उपरोक्त दर्शाये पते पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें । आफर दरों में उल्लेखित फीस के अतिरिक्त अन्य कोई व्यय मान्य नहीं होगा ।

प्रबंध संचालक